राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 509 /2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान,वृत–तृतीय,जयपुर अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटैड
जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री एम.एल.नेहरा,सदस्य

उपस्थितः
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री टी.सी.जैन
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 30.11.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 216/अपील्स–।।/सीएसटी/जयपुर/एन/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 35 सपठित द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत 1998–99 का कर निर्धारण दिनांक 13.09.2010 को पारित करते हुए आरोपित कर रू. 6,70,554/– ब्याज रू. 2,81,160/–कुल रू. 19,51,714/–को अपास्त किया है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1998–99 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.07.2001 को पारित किया गया,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 18.08.2007 को आदेश पारित कर मांग कायम की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुनः दिनांक 18.08.2007 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपील का दिनांक 20.03.2009 को निस्तारण करते हुए पुनः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 13.09.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जाकर विक्रय राशि रू.67,05,541/–

के एफ फार्म प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उस पर 10 प्रतिशत से अन्तर कर रू. 6,70,554/– एवं ब्याज रू. 12,81,160/– कुल रू. 19,51,714/–की मांग सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13..09.2010 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रकरण के विस्तृत विवेचन के पश्चात आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2011 पारित किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न शाखाओं को रू. 2,16,88,465/–की बिक्री की गई थी,जिसके एफ फार्म चाहे गये थे किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से रू. 1,43,45,345/–के ही एफ फार्म प्रस्तुत किये गये इसलिए शेष रहे रू. 67,05,541/–के एफ फार्म पर 10 प्रतिशत की दर से कर रू. 6,70,554/– एवं ब्याज रू. 12,81,160/–आरोपित किया है,जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपास्त किया है,जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 67,05,541/– की राशि के एफ फार्म प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पेश नही करना मानते हुए जो अन्तर कर आरोपित किया है वह सही नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केवल मात्र राशि रू. 1,43,45,345.70 का ही ब्रांच ट्रांसफर राज्य के बाहर स्थित शाखाओं को किया गया है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रू. 1,49,82,924/–की राशि के एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। उनका कथन है कि राजस्थली मुम्बई के एफ फार्म राशि रू. 6,17,579/–का दोहरीकरण हो जाने के कारण एफ फार्म की विशुद्धि राशि रू. 1,43,45,345/–ही है,जिसके एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसके सम्बन्ध में सभी तथ्य प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तत किये गये हैं। उनका कथन है कि इसके अतिरिक्त अन्य एफ फार्म की प्रस्तुति आलोच्य वर्ष में अनिवार्य नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म राज्य सरकार का एक उपक्रम है,जिसका प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा विभिन्न राज्यों में उपक्रम की शाखाओं के माध्य से विक्रय कार्य किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न शाखओं की लेखा पुस्तकें शाखाओं पर संधारित की जाती हैं तथा

विभिन्न शाखाओं द्वारा किये गये विक्रय का प्रधान शाखा की लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया जाता है। उनका कथन है कि ब्रांच ट्रांसफर की राशि के एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पाया है कि समस्त ब्रांच ट्रांसफर के समर्थन में एफ फार्म प्रत्यार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने राशि रू. 67,05,541/– के एफ फार्म पेश नही करना मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने रिकार्ड के परिशीलन के पश्चात पाया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसका प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा विभिन्न शाखाओं के माध्यम से विक्रय कार्य किया जाता है। उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए को उद्धृत करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"उक्त धारा के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ फार्म व्यवहारी द्वारा माल के अपनी अन्य शाखा को स्थानान्तरण की उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया जाना वांछित है जिसमें व्यवहारी द्वारा जिस माल का स्थानान्तरण अन्य शाखा को किया गया है उस माल का विवरण होगा न कि ब्रांच द्वारा किये गये विक्रय की राशि का विवरण होगा। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त ब्रांच ट्रांसफर के समर्थन में एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा अपीलार्थी व्यवहारी के उपक्रम की विभिन्न शाखाओं द्वारा जिन–जिन राज्यों में माल विक्रय किया गया उन राज्यों में उपक्रम की शाखाओं के पारित कर निर्धारणों की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न है जिनसे विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के तर्को की पुष्टि होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की विभिन्न शाखाओं द्वारा किये गये विक्रय की राशि के एफ फार्म चाहे गये है जो कि विधिक नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केवल जिस माल का ब्राच ट्रांसफर किया गया है उसी राशि के एफ फार्म वांछनीय हैं जो कि रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं...।"

अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि उन्होंने रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया है कि जिस माल का ब्रांच ट्रांसफर किया गया है उस राशि के एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष के पश्चात अन्यथा निर्णय देने के आवश्यकता यह पीठ नहीं समझती है। फलस्वरूप प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज उचित नहीं होने से अपास्त किया जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2011 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(एम.एल.नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य